

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यस्थापक

सुशीला एयूडेशनल इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा जॉच हेतु प्रस्तुत किया गया प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों को जॉच किया गया, जाचापरान्त उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाया गया इस संदर्भ में पत्र निर्गत की तिथि से १५ अक्टूबर के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

सन्धारण- पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि व्यस्थापक—

1. प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों को अपने प्रतिष्ठान निर्देशित स्थानों पर रखेंगे। तथा उसका सन्धारण आईएस0 2190 / 1997 के अनुरूप करेंगे जिससे उसमें तकनिकी खराबी न आ पाये सन्धारण के कमी के कारण यंत्रों में आने वाली खराबी की जिम्मेवारी व्यस्थापक की होगी।
2. कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों को यंत्रों के संचालन विधि को अवगत करा देंगे। जिससे आग के प्रथम स्टेज पर ही शमन किया जा सके।
3. वर्ष में कम से कम दो बार मौक ड्रील करायेंगे।
4. नेशनल बिल्डिंग कोर्ड ऑफ इंडिया पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सेप्टी के प्रावधानों के अनुसार अन्य व्यवस्था यथा शीघ्र शुनिश्चित करेंगे।
5. वर्ष में एक बार अग्निशामक व्यवस्था की जॉच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. ए०बी०सी०-०४ के०जी० ए०बी०जी०-०६ के०जी० सी०ओ०२- ०२ के०जी० सी०ओ००२- ०५ के०जी०
A BC 5 (पाँच) माह
पाठ्यानुसारी वार्षीय (पाठ्यानुसारी वार्षीय तथा वार्षिक)

पत्रांक 132 फान० मधुबनी, दि. 11-3-94
कार्यालय: अग्निशामकलय पदाधिकारी, मधुबनी। प्रतिष्ठान औग्नशमन पदाधिकारी

मधुबनी

प्रतिलिपि:- व्यस्थापक सुशीला एयूडेशनल इंस्टीट्यूशन्स की फॉन्स प्रॉटेबुल 1
के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियाथ। (रुपा र०५)